B-3 & 4
L - 18
Ethics

सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव :-

- 1947 के पहले प्रशासन - औपनिवेशिक मानसिकता

ब्रिटेन के प्रति ← समर्पित ← भारतीय प्रशासन

↳ सरकार मानते थे स्वयं को

↳ (हुकुम) → खुश

- 1947 के पहले भारतीय प्रशासन की स्थिति :-

- हुकुम चलाना।
- कानून और व्यवस्था का सख्ती से पालन करना।
- यथा स्थिति बहाल रखना।
- समय पर लगान की वसूली।
- अपने बॉस को खुश रखना
- उत्तरदायित्व जनता के प्रति न होकर क्राउन के प्रति।
- जनता की समस्याओं के प्रति उपेक्षा। या उदासीनता का भाव।
- स्वयं को जनता का स्वामी मानना।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Trusted Learning
KHAN SIR

आजादी के बाद

- लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास।
- लोकतांत्रिक मूल्यों (सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता) के साकारीकरण का प्रयास।
- सामाजिक विकास
- सभी लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे- स्वच्छ पर्यावरण, भोजन, कपड़ा, आवास, संचार, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन निजता का अधिकार इत्यादि।
- सरकार देश के सर्वांगीण विकास व उत्थान हेतु अनेक नीति व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती हैं। इनके क्रियान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर होता है। ऐसी स्थिति में लोक पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोक सेवा के प्रति समर्पण का भाव रखें।
- लोक सेवकों के वेतन व भत्ते पर होने वाला खर्च भारत की संचित निधि से दिया जाता है जिसमें जनता से लिये गये टैक्स को भी जमा किया जाता है स्पष्ट है कि इन पर होने वाले खर्च का वहन जनता करती है ऐसी स्थिति में उनका यह कर्तव्य बन जाता है कि वे जनसेवा

के प्रति समर्पित रहे, वे वास्तव में जनता के स्वामी न होकर जनता के सेवक हैं।

लोक सेवा के प्रति समर्पण का आशय :-

- सिविल सेवा के आधार भूत मूल्यों को स्वीकार करते हुए सत्पनिष्ठा पूर्वक विनम्रता के साथ नागरिक सेवाओं की त्वरित, प्रभावी, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सिविल सेवा के प्रति समर्पण का भाव दर्शाती है।

व्यवहारिक आयाम :-

(i) जन समस्याओं के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता।

(ii) लोगों की समस्याओं के प्रति समानुभूति का भाव तथा उन्हें दूर करने की तत्परता।

(iii) अधिकारों का समुचित प्रयोग और कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन।

जैसे →

आपदा आदि के समय व्यक्तिगत कठिनाईयों को दरकिनार करते हुए जी-जान से लोगों के जान-माल की रक्षा करना, सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव को दर्शाता है।

* एक सिविल सेवक को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करते समय सार्वजनिक हित को वरीयता देनी चाहिए उसे जनहित में अपने पद और अधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

अगर लोकसेवक जनता के प्रति समर्पित हैं तो फिर इसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ता है। इससे प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम होती है विश्वास का भाव बढ़ता है तथा लोगों में जागरूकता आती है। परिणाम स्वरूप सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने में आसानी होती है।

लोकसेवा के प्रति समर्पण भाव अधिकारियों में विनम्रता, सहनशीलता, कर्तव्य बोध, उत्तर-दायित्व बोध, समानुभूति, सहिष्णुता, करूणा, संवेदनशीलता और अनुक्रियाशीलता को बढ़ाने में सहायक है।

कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति / सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करूणा :-

कमजोर वर्ग :-

बच्चे, महिलायें, वृद्धि, दिव्यांग, उपेक्षित एवं असहाय, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

सहानुभूति से आगे समानुभूति	साहिष्णुता	दया से आगे करूणा
सम + अनुभूति - समान परानुभूति ↓ पर + अनुभूति ↓ दूसरा → दूसरों के समान अनुभूति ही समानुभूति / परानुभूति है। गांधी जी के मतानुसार- वैष्णो जन्तों तेने कहिये जो पीर पराई जाने रे (उत्तम व्यक्ति वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझे।	अपने भिन्न विचार मत, जीवन पद्धति धर्म, व्यवहार आदि के अस्तित्व को भी स्वीकार करना आदर और सम्मान देना। सहन करना सह अस्तित्व का भाव। मेरे साथ आपका भी अस्तित्व है।	सबके प्रति मैत्री भाव, मंगल कामना, प्राणीमात्र के प्रति सेवा का भाव। जैसे- बोधिसत्व को करूणा का महासागर माना जाता है। महामान के नैतिक आदर्श हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखण्डता तथा व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित। सुदृढ़ करने वाली बंधुता को साकारित करने वाली दृढ संकल्पित होकर आगे बढ़ने की बात की गई है यहाँ बन्धुत्व की भावना भाई-चारे को इंगित करती है।

आशय है कि एक ही मातृ भूमि की संतान होने के कारण सभी नागरिक एक

परिवार के भाँति हैं अतः सुख दुःख में उन्हे एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। तथा दूसरों की गरिमा तथा प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए।

बंधुत्व की भावना को साकारित करने के लिए कमजोर वर्गों जैसे बच्चों, अधिकांश महिलाओं, वृद्धों, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करूणा का भाव होना चाहिए।

प्रशासन के लिए नियमों और कानूनों के अनुसार कार्य करना आवश्यक है परन्तु इसका आशय यह नही है कि वह पत्थर एवं निष्ठुर व्यवहार करे, उसकी मानवीयता एवं संवेदनशीलता समाप्त हो जाए।

- एक प्रशासनिक अधिकारी को सहृदयी भी होना चाहिए अर्थात उसे दूसरों के कष्टों (दुःखों) को समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए और उन्हे दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
- ऐसा करने पर ही सहृदयी प्रशासन की अवधारणा साकारित होगी।

समानुभूति:-

- समानुभूति व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे वह दूसरों की मनःस्थिति को समझते हुए समस्या के स्वरूप एवं इसकी गहनता को महसूस करना है।

मुख्य तत्व (समानुभूति के)

- दूसरों की समस्याओं को तन्मयता के साथ सुनना।
- समस्या की गहनता को महसूस करना।
- अपनी संवेदना को प्रकट करना।
- अपनी क्षमतानुसार समस्या का विवेकपूर्ण समाधान करने के लिए तत्पर होना।
- समानुभूति की भावना लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव को बढ़ाती है तथा सहिष्णुता एवं करुणा की भावना को मजबूत करती है।
- समानुभूति की भावना प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाती है। और उत्तदायित्व का बोध कराती है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR